तिथि 18.02.2013 से 20.03.2013 तक

मेरठ जोन के अन्तर्गत शिक्षण संस्था हेतु आवेदन पत्र की

आमंत्रण सूचना

माधवपुरम योजना संख्या–10, मेरठ

सैक्टर/भूखण्ड सं0	स्कूल भूखण्ड का स्तर	क्षेत्रफल व.मी.	वर्तमान भूमि दर+ लीजरेंट+कार्नर शुल्क (कार्नर की स्थित में) प्र.व.मी.	50 प्रतिशत के अनुसार लीज दर प्र.व.मी.	परिषद के सैक्टर दर के अनुसार लीज पर प्र.व.मी. 10 प्रतिशत	भूखण्ड का मूल्य	पंजीकरण धनराशि (रू0 लाख में)
3NS-1 (Sec-3)	प्राईमरी	1691.70	9600.00	—	800.00	16240320	1624032
3NS-3 (Sec-3)	नर्सरी	894.00	9600.00	—	800.00	8582400	858240
(Sec-4)	प्राईमरी	1575.00	9600.00	—	800.00	15120000	1512000
अशोक बिहार योजना, खतौली							
डी ब्लाक स्थित स्कूल भूखण्ड	प्राइमरी स्कूल	2227.50 वर्ग. मी. कार्नर	रू. 6295.00 प्र.व.मी.	—	रू0 500/–	140.22	14.02

नियम व शर्तेः–

1. उपरोक्त दर प्रदेशन पत्र निर्गत तिथि को सम्बन्धित योजना की आवासीय दर है। अतः किसी प्रकार की लिपिकीय त्रुटि संशोधनीय होगी।
2. उ0प्र0 सरकार के निर्णयानुसार शैक्षणिक संस्थाओं को समाज के सभी वर्गों के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिये 10 प्रतिशत स्थान आरक्षित कर प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा साथ ही कुल देय फीस में 50 प्रतिशत छूट भी दिया जाना अनिवार्य होगा।
3. उ0प्र0 सरकार एवं भारत सरकार द्वारा लागू विधिक प्राविधान, अधिनियिम एवं निर्देश आवंटन पर प्रभावी होगें।
4. भूखण्ड जहां है जैसे है की स्थिति के अनुसार ऑफर किये जा रहे हैं किसी भखण्ड के किसी मा0 न्यायालय के आदेशों से कब्जा देने में कठिनाई की स्थिति में अन्यत्र वैकल्पिक भूखण्ड का आवंटन या कब्जा दिया जाना स्वीकार्य नहीं होगा।
5. विभिन्न स्तर के शैक्षिक भूखण्डों का उपयोग संबंधित विभाग (यथा–बेसिक/माध्यमिक/उच्च शिक्षा/ सी0बी0एस0ई0/आई0एस0सी0 बोर्ड आदि) के द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार होगा।
6. विज्ञापन प्रकाशन के उपरान्त शैक्षिक भूखण्ड के क्षेत्रफल में कमी–वृद्धि हो सकती है जिस हेतु कोई दावा मान्य नहीं होगा तथा किसी सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अथवा किन्हीं कारणों से यदि परिषद द्वारा भूखण्ड के मूल्य, क्षेत्रफल अथवा शर्तों में परिवर्तन करना पड़ता है तो आवेदक संस्था को मान्य होगा।
7. संस्था को भूमि अन्तरण करने, किराये पर देने अथवा विक्रय करने का अधिकार नहीं होगा।
8. शिक्षण संस्था के संचालन समिति में आवास आयुक्त अथवा उनके द्वारा नामित व्यक्ति सदस्य होगें तथा उन्हें संचालन समिति की सभी बैठकों में विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया जायेगा।
9. संस्था, को भूखण्ड आवंटन पर टोकन धनराशि सहित कुल मूल्य की 25 प्रतिशत धनराशि प्रदेशन पत्र निर्गमन की तिथि से 90 दिन के अन्दर जमा करनी होगी शेष 75 प्रतिशत धनराशि 03 समान त्रैमासिक किश्तों में देय होगी। शेष नियम व शर्तें परिषद की वेबसाइट **www.upavp.com** तथा संबंधित पंजीकरण पुस्तिका (विनियमावली) प्राप्त की जा सकती है।
10. पंजीकरण पुस्तिका/आवेदन पत्र स्थानीय सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय अथवा जोन कार्यालय से प्राप्त/जमा किये जायेगें।

आवास आयुक्त

डायल करें

0522–2236803

1800–180–5333(टोल फ्री)

परिषद ने ग्राहकों की शिकायतों व समस्याओं के निस्तारण के लिए

जन सुविधा केन्द्र

की स्थापना की है जिसमें आप फोन द्वारा अपनी शिकायत व समस्या दर्ज करा सकते है।

यह सेवा प्रत्येक कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5 बजे तक उपलब्ध है।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सेर्वोत्तम अनुवर्ती

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ,

Website: http://www.upavp.com; E-mail : upavp@Sancharnet.in